26 फरवरी, 2019

सभी एलईडी लैंप निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

21 फरवरी, 2019 को भारत के राजपत्र में एलईडी लैंप की संशोधन अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

अधिसूचना की तारीख से संशोधन अधिसूचना तुरंत लागू हो गई है। अधिसूचना की एक प्रति सभी पंजीकृत निर्माताओं को ईमेल कर दी गई है और यह अनिवार्य उपकरणों के अनुभाग के तहत एसएंडएल वेबसाइट www.beestarlabel.com पर भी उपलब्ध है।

समीर पंडिता

(समीर पंडिता)

निदेशक

26/02/2019

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(Government of India, Ministry of Power)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

26th February, 2019

Important Instruction to all Manufacturers &Permittee of Self-ballasted LED Lamps

This is to bring to your kind notice that Amendment Notification of LED Lamps has been published in the Gazette of India on 21st February, 2019.

Amendment Notification has come into force immediately from the date of notification. A copy of the notification is emailed to all the registered manufacturers and is also available on S&L website www.beestarlabel.com under the section of mandatory appliances.

(Sameer Pandita)
Director
26/02/2019

चौथा तल, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली–110 066, वेबसाईट / Website : www.beeindia.gov.in
4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066 टेली / Tel.: 91 (11) 26766700, फैक्स / Fax: 91 (11) 26178352

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 807] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 807] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

का.आ. 937(अ).—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ.4096 (अ) तारीख, 28 दिसम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प जिसकी बिजली खपत 3 वॉट से 25 वॉट के बीच है, जो सिंगल फेज़ अल्टरनेटिंग करंट आपूर्ति पर सामान्य लाइटिंग सेवाओं के लिए और 250 वोल्ट, 50 हट्र्ज़ सहित उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्य करता है तथा निदेश दिया जाता है कि ऐसा कोई उपकरण या उपकरणों का वर्ग जिसे बिक्री के लिए निर्मित किया या बेचा या खरीदा या बिक्री के लिए आयात किया जाता है, उस पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में बनाए गए (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के लेबल पर विवरण तथा उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2017 में निर्दिष्ट रीति से लेबल पर विवरण लगाए जाएं।

[फा. सं. 13/19/2015 (भाग द्वितीय)-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

S.O. 937(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4096 (E), dated the 28th December, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the self-ballasted LED lamps for general

lighting services having rated power from 3 watts to 25 watts, that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50Hz for the purposes of the said Act, and directs that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in the manner specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 made under the Energy Conservation Act, 2001.

[F. No. 13/19/2015 (Part II)-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

का.आ. 938(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार लेबल वाले सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट करती है जिसमें बिजली की खपत 3 वॉट से 25 वॉट तक होती है, के प्रयोजन के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित का. आ. अधिसूचना सं. 4097 (अ.) तारीख 28 दिसंबर, 2017 में संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 1 में, "प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैंप" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प जिसकी बिजली खपत 3 वॉट से 25 वॉट के बीच है";

(ख) पैरा 2 में, खंड (क) को खंड (कक) के रूप में दूसरा नाम दिया जाएगा और दूसरा नाम दिए गए खंड (कक) से पहले, इसलिए निम्नलिखित खंड को अन्त: स्थापि□त किया जाएगा, अर्थात् :-

'(क) प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स से परीक्षण के 0 घंटे पर होने वाला लैम्प ल्यूमिनस फ्लक्स अभिप्रेत है। यह ल्यूमेन (एलएम) में मापा जाता है, मापे गए नमूने में प्रत्येक अलग अलग एलईडी लैम्प का प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स 10 प्रतिशत से अधिक रेटेड ल्यूमिनस फ्लक्स से कम नहीं होगा और मापे गए नमूनों का औसत प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स 7.5 प्रतिशत से अधिक रेटेड ल्यूमिनस फ्लक्स से कम नहीं होगा;'

(ग) उप-पैरा (3) और उसकी सारणी के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3 क) रजिस्ट्रीकरण प्रयोजन के लिए मॉडल (समूह दिशानिर्देश) का परिवार निम्नलिखित सारणी और प्रक्रिया के अनुसार विचार में लिया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

समूह अभिहित कोड	**ल्यूमेन रेंज**	**सीसीटी 2700K - <3500K**	**सीसीटी 5000K -<5000K**	**सीसीटी 5000K - <6500K**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
क	100-500	<परिवार क3$_{(1)}$ – परिवार क3$_{(n)}$ >	< परिवार क4$_{(1)}$ – परिवार क4$_{(n)}$ >	< परिवार क5$_{(1)}$ – परिवार क5$_{(n)}$ >
ख	501-1000	< परिवार ख3$_{(1)}$ – परिवार ख3$_{(n)}$ >	< परिवार ख4$_{(1)}$ – परिवार ख4$_{(n)}$ >	< परिवार ख5$_{(1)}$ – परिवार ख5$_{(n)}$ >
ग	1001-1500	< परिवार ग3$_{(1)}$ – परिवार	< परिवार ग4$_{(1)}$ – परिवार	< परिवार ग5$_{(1)}$ – परिवार

		ग3$_{(n)}$ >	ग4$_{(n)}$ >	ग5$_{(n)}$ >
घ	1501-2500	< परिवार घ3$_{(1)}$ – परिवार घ3$_{(n)}$ >	< परिवार घ4$_{(1)}$ – परिवार घ4$_{(n)}$ >	< परिवार घ5$_{(1)}$ – परिवार घ5$_{(n)}$ >
ड.	>2500	< परिवार ड.3$_{(1)}$ – परिवार ड.3$_{(n)}$ >	< परिवार ड.4$_{(1)}$ – परिवार ड.4$_{(n)}$ >	< परिवार ड.5$_{(1)}$ – परिवार ड.5$_{(n)}$ >

(i) स्टार रेटिंग केवल प्रत्येक वॉटेज (आईएस 16102 (भाग 2) में परिभाषित प्रभावकारिता) के लिए ल्यूमेन/ वॉट के 0 घंटों पर प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर दी जा सकती है

(ii) प्रत्येक समूह में केवल एक वॉट क्षमता पूरे जीवन के परीक्षण के लिए होगी।

(iii) अनुमोदन की तारीख से 3 महीने के अंदर 1000 घंटे की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(iv) घोषित जीवन की पच्चीस प्रतिशत परीक्षा रिपोर्ट अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के अंदर जमा की जानी चाहिए।

(v) अतिरिक्त सीसीटी के लिए, केवल ल्यूमेन / वॉट और सीसीटी रिपोर्ट जमा की जाएगी और पुन: से जीवन की परीक्षण रिपोर्ट जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(vi) एक अलग (उच्चतर) स्टार रेटिंग बैंड के लिए, खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा";

(घ) उप-पैरा 4 के उप-पैरा (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: :-

"(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प में कम से कम 95 प्रतिशत ल्यूमेन रखरखाव 1000 घण्टों के प्रचालन पर होगा, जबकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (घ) के अधीन विनियमों में परिभाषित मॉडलों के प्रत्येक परिवार के बीच, निर्माता मूल मॉडल के लिए 1000 घंटे की परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मॉडलों के उक्त कथित परिवार के अनुमोदन की तारीख से तीन महीने के अंदर ल्यूमेन रखरखाव का नब्बे प्रतिशत प्रकट किया जाएगा। ।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प में 6000 घण्टों के प्रचालन पर और घोषित जीवन के 25 प्रतिशत में 1000 घण्टों की अवधि सहित ल्यूमेन रखरखाव सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 11.2 में निर्दिष्ट संगत लैम्प डेटा शीट में बताए गए मान से कम नहीं होगा, जबकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (घ) के अधीन नियमों में परिभाषित मॉडल के प्रत्येक परिवार के बीच, निर्माता मॉडल के उक्त परिवार के अनुमोदन की तारीख के बारह महीनों के अंदर मूल मॉडल के लिए 6000 घंटे की परीक्षण रिपोर्ट या घोषित जीवन का पच्चीस प्रतिशत जमा करेगा।"

[फा. सं. 13/19/2015 (भाग द्वितीय)-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असारधारण में अधिसूचना सं. का. आ. 4097 (अ.) तारीख 28 दिसम्बर 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

S.O. 938(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled self-ballasted LED lamps having power consumption in the range of 3 watts to 25 watts and for that purpose amends the Notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4097 (E), dated the 28th December, 2017, namely:-

2. In the said notification,-

(a) in paragraph 1, for the words "every self-ballasted LED lamps", the following shall be substituted, namely:-

"Every self-ballasted LED lamp having rated power from 3 watts to 25 watts";

(b) in paragraph 2, clause (a) shall be relettered as clause (aa) and before clause (aa) so relettered the following clause shall be inserted, namely:-

'(a) initial luminous flux means the luminous flux of the lamp at 0 hour of testing. It is measured in lumens (lm), the initial luminous flux of each individual LED lamp in the measured sample shall not be less than the rated luminous flux by more than 10 per cent. and the average initial luminous flux of the measured samples shall not be less than the rated luminous flux by more than 7.5 per cent;' ;

(c) after sub-paragraph (3) and the Table thereof, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3A) The family of models (grouping guidelines) for registration purpose shall be considered as per the following Table and procedure, namely:-

"Table

Group Designation Code	**Lumen Range**	**CCT 2700K- <3500K**	**CCT 3500K- <5000K**	**CCT 5000K- <6500K**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
A	100-500	<family $A3_{(1)}$ – family $A3_{(n)}$ >	<family $A4_{(1)}$ – family $A4_{(n)}$ >	<family $A5_{(1)}$ – family $A5_{(n)}$ >
B	501-1000	<family $B3_{(1)}$ – family $B3_{(n)}$ >	<family $B4_{(1)}$ – family $B4_{(n)}$ >	<family $B5_{(1)}$ – family $B5_{(n)}$ >
C	1001-1500	<family $C3_{(1)}$ – family $C3_{(n)}$ >	<family $C4_{(1)}$ – family $C4_{(n)}$ >	<family $C5_{(1)}$ – family $C5_{(n)}$ >
D	1501-2500	<family $D3_{(1)}$ – family $D3_{(n)}$ >	<family $D4_{(1)}$ – family $D4_{(n)}$ >	<family $D5_{(1)}$ – family $D5_{(n)}$ >
E	>2500	<family $E3_{(1)}$ – family $E3_{(n)}$ >	<family $E4_{(1)}$ – family $E4_{(n)}$ >	<family $E5_{(1)}$ – family $E5_{(n)}$ >

(i) Star rating can be given only on the basis of initial testing at 0 hours of lumen/watt for each wattage (the efficacy as defined in IS 16102 (Part 2)).

(ii) Only one wattage in each group will go for complete life test.

(iii) 1000 hours test report to be submitted within 3 months from the date of approval.

(iv) Twenty five per cent. of declared life test report to be submitted within 1 year from the date of approval.

(v) For additional CCT, only the lumen/watt and CCT report shall be submitted and there shall not be any requirement to submit the life test report again.

(vi) For a different (higher) star rating band, the procedure specified in clause (i) to (v) shall be complied with";

(d) For sub-paragraph (6) and (7) of paragraph 4, the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

"(6) It shall be ensured that every self-ballasted LED lamp shall have at least ninety five per cent. lumen maintenance at 1000 hours of operation however among each family of models defined in regulations under clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the manufacturer shall submit the 1000 hours test report for the parent model revealing ninety five per cent. of lumen maintenance, within three months of the date of approval of the aforesaid family of models.

(7) It shall be ensured that every self-ballasted LED lamp at 6000 hours of operation or at twenty five per cent. of declared life, including the ageing period of 1000 hours, shall not have lumen maintenance less than the value indicated in the relevant lamp data sheet as specified in clause 11.2 of Indian Standard IS16102 (part 2) with all amendments, however among each family of models defined in regulations under clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), manufacturer shall submit 6000 hours test report or at twenty five per cent. of declared life for the parent model, within twelve months of the date of approval of the aforesaid family of models."

[F. No. 13/19/2015 (Part II)-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.22 16:50:56 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/ फाल्गुन 2, 1940**
No. 76]	**NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/ PHALGUNA 2, 1940**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

सं. बीईई/एस एण्ड एल/एलईडी/ 52/2018-19.—प्रारूप संशोधन विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैंप के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2018 बीईई / एस एण्ड एल/ एलईडी /52/2018-19 तारीख 13 दिसंबर, 2018 को प्रकाशित किए गए थे, जैसा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित है, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से राजपत्र की प्रतियों में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, जब जनता को उपलब्ध कराया गया था, तीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

13 दिसंबर, 2018 को उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गईं थीं;

और जबकि इस बारे में सुझाव का ध्यान रखा गया है।

अत: अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (i) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैंप के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2017 के संशोधन में, ऐसे संशोधन से पहले उन बातों के सिवाए किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ब्यूरो निम्नलिखित विनियमों को बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), संशोधन विनियमन, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया),-

   विनियम 2 में,

   (i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

   '(ख) "छोटे मॉडल" से मूल मॉडल को छोड़कर, सभी मॉडल या परिवार के अंदर के मॉडल अभिप्रेत है ;

   (खक) "मॉडलों के परिवार" से एक अभिहित समूह, ल्यूमेन रेंज, सीसीटी और स्टार रेटिंग बैंड के अंदर एक परिवार है और विनिर्माता द्वारा ऐसा घोषित एक मूल मॉडल और छोटे मॉडल या मॉडल शामिल हैं, अभिप्रेत है;

   (ii) खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   '(छ) "मूल मॉडल" में परिवार से, विनिर्माता द्वारा "मूल मॉडल" के रूप में घोषित उच्चतम रेटेड वॉट क्षमता वाले एलईडी लैम्प अभिप्रेत है';

3. उक्त विनियमों के विनियम (6) में उप-विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   " (4) मॉडलों के परिवार के अधीन एक मॉडल के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के खंड (क) के अधीन जारी भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ्. 4097(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।। खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, के उपबंधों का अनुपालन करता है।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./551/18]

टिप्पण:— प्रकाशित विनियम भारत के राजपत्र असाधारण में संख्या सं. बीईई/एस एण्ड एल/एलईडी/52/2017-18 तारीख 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

No. BEE/S&L/LED/52/2018-19.—Whereas the draft amendment regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2018, were published vide notification number BEE/S&L/LED/52/2018-19, dated the 13th December, 2018, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the period of forty-five days from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 13th December, 2018;

And whereas suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the said Act and in amendment of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

3. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

4. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manners of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017 (herein after referred to as the said regulations,-
in regulation 2,

(ii) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(b) "child model" means all model or models under a family, except the parent model;

(ba) "family of models" means a family within a designated group, lumen range, CCT and star rating band and consist of a parent model and child model or models declared as such by the manufacturer;';

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

'(g) "parent model" in a family means , the LED lamp with highest rated wattage declared as a parent model by the manufacturer;';

3. In regulation (6) of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) For the purpose of registration of a model under family of models, it shall be ensured that it complies with the provisions of the notification of the Government of India in Ministry of Power number S.O. 4097 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (ii) of dated the 28th December, 2017 issued under clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001."

ABHAY BAKRE, Director General
[ADVT. III/4/Exty./551/18]

Note.- The published regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number BEE/S&L/LED/52/2017-18, dated the 28th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.22 16:16:37 +05'30'